रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 1985/भाद्र 18, 1907
No. 435] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 1985/BHADRA 18, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985

का.आ. 662(अ).—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित

कृषि मशीनरी के अनुसूचित उद्योग में विनिर्मित या उत्पादित ऐसे माल के [illegible] को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपकर के रूप में 1 अक्तूबर, 1985 से ऐसी दर पर जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उत्पाद-शुल्क उदगृहीत और संगृहीत किया जाएगा :

सारणी

माल के वर्ग का वर्णन	उत्पाद-शुल्क की दर
1	2
25 से अधिक के पावर टेक-आफ हार्स पावर के ट्रैक्टर (किसी भी भारोत्तोलन या अन्य विशेषीकृत सामग्री उतारने और चढ़ाने के उपकरण जिन्हें ट्रैक्टरों पर चढ़ाया, जोड़ा या लगाया जा सकता है का मूल्य ऐसे ट्रैक्टरों के निर्धारण योग्य मूल्य से निकाल दिया जायेगा)	मूल्य का 1/8 प्रतिशत

[फा.सं. 7(1)/85-ए.ई. आ

के.एस. बेंस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 6th September, 1985

S.O. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies the class of goods manufactured or produced in the scheduled industry of agricultural machinery as mentioned in column (1) of the Table below on which a duty of excise shall be levied and collected as a cess for the purpose of the said Act with effect from the 1st October, 1985 at the

specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:—

TABLE

Description of Class of Goods	Rate of duty of excise
1	2
Tractors of Power Take-off Horse Power exceeding 25 (the value of any weightlifting or other specialised material handling equipment which may be mounted, fitted or fixed to tractors will be excluded from the assessable value of such tractors.)	1/8 per cent ad valorem

[F. No. 7(1)/85-AEI-I]

K.S. BAINS, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985